GOVERNMENT OF BIHAR

HOME (POLICE) DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. 4/B-1-102/2008 377 / **Patna, Dated: 06/01/2012**

In exercise of power conferred under Section 55, read with Section 94 of Bihar Police Act, 2007 (Act 7 of 2007) the Bihar Government is pleased to make the following amendments in Appendix 103 under Rule - 663 of the Bihar Police Manual, 1978 with immediate effect.

Appendix 103 (Rule 663)

(a) The provisions under paragraph 5 "Written Examination" in Appendix 103 of Bihar Police Manual under Rule 663 (a) will be replaced with the following :-

5 (i) Written Examination :- After collection of application forms, scrutiny of application forms will be done and written examination will be conducted for those candidates whose application forms are found in order . The standard of written examination will be equivalent to class X of Bihar School Examination Board and questions will be of objective type. Written Examination will be of 300 Marks. There will be 100 questions in a question paper of two hours duration, in which 03 marks will be given for each correct answer. Each Answer Book will be in duplicate, out of which one copy will be in the form of invisible carbon copy to be kept reserved with Selection Board.

(ii) Candidates of all categories (Unreserved/Reserved/Home Guard etc.) who will be unsuccessful to obtain minimum 30 per cent marks of the total marks in the written examination, shall be declared disqualified and shall not be allowed to appear in the physical test.

(iii) Merit list for selection for the appointment to the post of constable in District and Military Police will be prepared on the basis of marks obtained by the Candidates in written examination. In case two or more candidates obtain equal marks in the written examination, their places in merit list shall be determined on the basis of their dates of birth; and, in case of two or more candidates obtaining equal marks and having the same date of birth, on the basis of their educational qualifications. Thus, in case of candidates obtaining equal marks, the older candidate and in case of candidates obtaining equal marks and having the same date of birth, the candidate having the higher educational qualification shall be placed higher on the merit list.

(iv) In each category, the five times more candidates (Unreserved/Reserved/Home Guard etc.), than the number of advertised/estimated vacancies for the post of constable shall be called for physical test. In case of non-availability of candidates qualified for physical test in adequate number, the ratio of candidate may be reduced suitably.

(b) The following is substituted in the Bihar Police Manual Appendix- 103 (5) (n) under Rule 663 (a):-

Height:-

i) For Men of Unreserved Category, Backward Classes - Minimum 165 Centimetres.
ii) For Women of all Categories- Minimum 155 Centimetres.
iii) For Gorkha of Indian Nationality- Minimum 158 Centimetres.
iv) For Scheduled Caste & Scheduled Tribe Men- Minimum 160 Centimetres.
v) For Men of Most Backward Classes- Minimum 162 Centimetres.

By the order of Governor,
Sd./-
(Arun Derhgawen)
Addl. Secretary to Govt.

Memo No. 4/B-1-102/2008 377 / Patna, Dated: 06/01/2012

Copy to:-

1. Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna-7 to publish in extraordinary edition of gazette.
2. It is requested that 1000 extra copies of Notification may kindly be made available to Home (Police) Department for use by the office.

Sd./-
(Arun Derhgawen)
Addl. Secretary to Govt.

Memo No. 4/B-1-102/2008 377 / Patna, Dated: 06/01/2012

Copy to:-

Director General of Police, Bihar, Patna with the request that action may be taken to substitute the amended portion as per the orders of the State Government.

Sd./-
(Arun Derhgawen)
Addl. Secretary to Govt.

<u>**बिहार सरकार**</u>

<u>**गृह (आरक्षी) विभाग,**</u>

<u>**अधिसूचना**</u>

संख्या– 04/ब–1–102/2008 गृ0आ0 <u>377</u> /   पटना, दिनांक–06.01.2012

बिहार पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम 7, 2007) की धारा 55, सहपठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 663 के अंतर्गत परिशिष्ट 103 में तुरंत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

<u>**परिशिष्ट 103 (नियम 663)**</u>

(क) बिहार पुलिस हस्तक के नियम 663(क) के अन्तर्गत परिशिष्ट 103 की कंडिका–5 "लिखित प्रतियोगिता परीक्षा" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

5 (i) **लिखित परीक्षा :–** आवेदन–पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन–पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी । लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10 वीं कक्षा के स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे । लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी । दो घंटों के एक प्रश्न–पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 अंक दिये जायेंगे । उत्तर–पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में होगी और यह प्रति चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखी जायेगी ।

(ii) सभी कोटि (अनारक्षित/आरक्षित/गृह रक्षक आदि) के जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहेगा, वह निरर्हित (Disqualify) घोषित किया जायेगा तथा शारीरिक जाँच में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जायेगी ।

(iii) जिला एवं सैन्य पुलिस के सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की जायेगी । लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण, उनकी जन्म तिथियों के आधार पर; एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर निर्धारित किया जायेगा । इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले; एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चत्तर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा ।

(iv) सिपाही के पद के लिए विज्ञापित/अनुमानित रिक्तियों की संख्या के 5 गुणा अधिक, प्रत्येक कोटि (अनारक्षित/आरक्षित/गृह रक्षक) में अभ्यर्थियों को शारीरिक जॉंच हेतु बुलाया जायेगा । शारीरिक जॉंच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा ।

(ख) बिहार पुलिस हस्तक के नियम 663(क) के अंतर्गत परिशिष्ट 103 की कंडिका-5(ढ़) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

ऊँचाईः-

i) अनारक्षित वर्ग के पुरूषों एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए- न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर ।

ii) सभी वर्गों की महिलाओं के लिए- न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर ।

iii) भारतीय मूल के गोरखा के लिए- न्यूनतम 158 सेन्टीमीटर ।

iv) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पुरूषों के लिए- न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर।

v) अति पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए- न्यूनतम 162 सेन्टीमीटर ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(अरूण डेढ़गवें)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 04/ब-1-102/2008 गृ0आ0 <u>377</u> / **पटना, दिनांक-06.01.2012**

प्रतिलिपिः-

1. अधीक्षक, राजकीय मद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।
2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह (आरक्षी) विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 04/ब-1-102/2008 गृ0आ0 <u>377</u> / **पटना, दिनांक-06.01.2012**

प्रतिलिपिः-

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार पुलिस हस्तक में राज्य सरकार के आदेशानुसार संशोधित अंश को प्रतिस्थापित करने की कार्रवाई की जाय ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।